

कार्यालय प्रधानाचार्य, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर।  
संख्या / बीआरजी / एमसी-22 दिनांक 06, अक्टूबर, 2022

कार्यालय आदेश

महानिदेशालय पत्र संख्या एम०ई०-3 / नर्सिंग / 2022 / 2286 दिनांक 04, अक्टूबर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 की काउंसिलिंग में सम्मिलित बी०एस०सी० नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग / एम०एस०सी० नर्सिंग में प्रवेश हेतु दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। उक्त प्राप्त निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाता है, जो आई०एन०सी० के पत्र दिनांक 10, अप्रैल, 2022 के अनुसार परीक्षण कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेगे।

1. डा० पवन प्रधान, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग। - अध्यक्ष
2. डा० राम कुमार जयसवाल, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, नेत्र रोग विभाग। - सदस्य
3. डा० आर.एन. यादव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, ई०एन०टी० विभाग। - सदस्य

(गणेश कुमार)  
प्रधानाचार्य

संख्या 677 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ।
2. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि महानिदेशालय / आई.एन.सी. के निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. नोडल अधिकारी, वेब साईट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को वेब साईट पर अपलोड करना / कराना सुनिश्चित करे।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सिंग कालेज, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज परिसर, गोरखपुर।
5. नोटिस बोर्ड।
6. गार्ड फाईल।

(गणेश कुमार)  
प्रधानाचार्य

recd on  
13-10-22  
[Signature]

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवीं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी  
सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre  
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सचिवालय निकाय  
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.No.1-5 / 2018 - INC

Dated:

NOTIFICATION

11 APR 2019

**SUB: Resolution Approved By General Body in its Meeting Held on 25<sup>th</sup> & 26<sup>th</sup>  
November, 2017 – Admission Criteria for Disabled candidates under  
Nursing Programmes- reg**

The Council has resolved in its meeting held on 25<sup>th</sup> & 26<sup>th</sup> November, 2017 that:

**"For Disabled Candidates: 5% Disability reservation to be considered with a  
disability of locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity."**

Further, it has also been resolved that a committee to be formed consisting of medical officers  
authorized by medical board of State Government and a Nursing Expert in the panel which may  
decide whether the candidates have the disability of locomotor of 40% to 50%.

(Rathish Nair)  
Secretary

Copy Forwarded to:

1. Registrar, All Universities offering and examining Nursing Programmes.
2. Registrar, State Nursing Councils
3. Principal, School College of Nursing.
4. INC Website

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत

Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: [www.indiannursingcouncil.org](http://www.indiannursingcouncil.org) E-mail: [secy.inc@gov.in](mailto:secy.inc@gov.in)

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

Dr. Anil Kumar Singh  
B.E. / N.B.  
श्री  
श्री

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कुल सचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ / यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई, इटावा।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय / स्वशासी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
3. निदेशक, डा0 आर0एम0एल0आई0एन0एस0, लखनऊ।

संख्या-एम0ई0-3 / नर्सिंग / 2022 / 2286 लखनऊ, दिनांक-04 अक्टूबर, 2022  
विषय-शैक्षणिक सत्र 2022-23 की काउंसिलिंग में सम्मिलित बी0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक  
बी0एस0सी0 नर्सिंग / एम0एस0सी0 नर्सिंग में प्रवेश हेतु दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु  
मेडिकल बोर्ड का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि शासनादेश दिनांक 09.09.2022 के द्वारा प्रदेश के राजकीय / स्वशासी / निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों / संस्थानों में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की कार्यवाही किया जाना है।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि अपने मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय स्तर पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु दिनांक 07.10.2022 से 15.10.2022 के मध्य मेडिकल बोर्ड का गठन करने का कष्ट करें। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आई0एन0सी0 के पत्र दिनांक 10 अप्रैल 2019 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निर्गत किए जायेंगे।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

( श्रुति सिंह )  
महानिदेशक।

संख्या-एम0ई0-3 / नर्सिंग / 2022 /

तददिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( श्रुति सिंह )  
महानिदेशक।